एलआईसी का जीवन उत्कर्ष (लाभ सहित)
LIC's Jeevan Utkarsh (With Profits) (UIN: 512N313V01)
नॉन–लिंक्ड लाभ–सहित एकल प्रीमियम योजना
(A non-linked, with-profit, Single Premium Life Assurance plan)
जीवन बीमा नियम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भाग – A (सतत) / PART-A (Contd...)

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे 'निगम' कहा जाएगा) प्रस्तावक से घोषणापत्र और कुल प्रीमियम के साथ एक प्रस्ताव और नीचे दी गई अनुसूची में नामित बीमित व्यक्ति का नाम और उसमें उल्लेखित कथनों और संदर्भों सहित उक्त प्रस्ताव और घोषणा प्राप्त होने पर, इस बीमा के आधार पर उक्त प्रस्ताव और निगम द्वारा यह सहमति दी जाती है कि निगम, भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकार, और, अगर पूर्व में मान्य नहीं है तो, जीवन बीमाधारक की प्रस्ताव में उल्लेखित आयु की सत्यता, के अनुसार इस पॉलिसी दस्तावेज में निर्धारित लाभ देय होने की तथा संतुष्टि के प्रमाण के पश्चात, इस पॉलिसी के लाभ का ब्याज के बिना, निगम के शाखा कार्यालय में जहां इसकी सेवा की जाती है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके प्रति यह उक्त अनुसूची के अनुसार देय है, भुगतान करने की सहमति व्यक्त करता है।

और एतद् यह घोषणा की जाती है कि, यह बीमा पॉलिसी, यहां पीछे मुद्रित परिभाषाओं, लाभ, सेवा के पहलुओं से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों और सांविधिक प्रावधानों के अधीन होगी और यह कि निम्न अनुसूची और निगम द्वारा पॉलिसी पर जिया गया प्रत्येक अनुलेखन पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with the Declaration and Total Premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced, to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed to be part of the Policy.

अनुसूची / SCHEDULE

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: **शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**

पॉलिसी संख्या: Policy No.:	मृत्यु पर बीमित रकम (रु.): Sum Assured on Death (Rs.):	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:
पॉलिसी प्रारंभ की तिथि: Date of Commencement of Policy:	मूल बीमित रकम (रु.): Basic Sum Assured (Rs.):	बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured:
जोखिम प्रारंभ की तिथि: Date of Commencement of Risk:	राइडर बीमित रकम (रु.): Rider Sum Assured (Rs.):	क्या आयु मान्य है? Whether age Admitted?
योजना और पॉलिसी अवधि: Plan & Policy Term:	मूल पॉलिसी के लिए तालिकाबद्ध एकल प्रीमियम (रु.): Tabular Single Premium for Base Policy (Rs.):	
परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity:	i. एकल प्रीमियम (रु.): i. Single Premium (Rs.):	
निहित होने तिथि: Date of Vesting:	ii. अतिरिक्त शुल्क (रु.): ii. Extra Charge (Rs.):	
राइडर समाप्ति की तिथि: Date of Rider Termination:	iii. राइडर प्रीमियम (रु.): iii. Rider premium (Rs.):	
	कुल प्रीमियम (रु.): Total Premium (Rs.):	
	कर (रु.): Taxes (Rs.):	

नोट: एलआईसी के दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर (यूआईएन: 512B209V01) की शर्तें, भाग C की शर्त 5 के तहत उल्लेखित हैं और यह यदि राइडर चुना गया है तो ही लागू होंगी।
Note: Conditions of LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider (UIN: 512B209V01), are as mentioned under Condition 5 of Part C and shall only be applicable if this rider has been opted for.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के तहत नामांकित व्यक्ति(यों) का नाम: Name of Nominee(s) under Section 39 of the Insurance Act, 1938:	प्रस्ताव संख्या: Proposal No.:
	प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal :
नामांकित व्यक्ति(यों) की आयु और उनसे संबंध: Age of Nominee(s) and their relationship:	पॉलिसी जारी करने की तिथि: Date of issuance of policy:
यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If nominee is a minor, name of the Appointee	लाभ चित्रण संदर्भ संख्या: Benefit Illustration Reference No.:
प्रस्तावक का नाम और पता: Name and address of Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता:/Name and address of Life Assured:
लाभार्थी जिसे लाभ देय है Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के तहत प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समुनदेशी या बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के तहत नामांकित व्यक्ति या साबित निष्पादकों या प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि जिन्हें भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा उसकी संपत्ति का या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि का, प्रतिनिधित्व दिया गया हो, जो भी लागू हो। The proposer or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.

निगम की ओर से उपरोक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए जिसका पता और ई–मेल आईडी पिछले पृष्ठ पर दी गई है और जिसे इस पॉलिसी से संबंधित सभी संचार संबोधित किया जाना चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address and e-mail ID is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनाँक / Date:

जांचकर्ता / Examined by: **पी. प्रमुख / वरिष्ठ शाखा प्रबंधक** /

प्रपत्र संख्या / Form No.: p. Chief/ Sr. Branch Manager

अभिकर्ता कोड / Agency Code	**एजेंसी का नाम** / Agency Name	**अभिकर्ता का मोबाइल नंबर / लैंडलाइन नंबर** Agent's Mobile Number / Landline Number

भाग – B : परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द / शब्दों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

1. **आयु** पॉलिसी प्रारंभ होने के समय बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि पर आयु है, 6 वर्ष की आयु को छोड़कर, अन्य के लिए आयु पूर्ण हो चुके वर्ष हैं।
2. **नियुक्त व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसे, यदि लाभ नामांकित व्यक्ति को देय हैं और नामांकित व्यक्ति दावा भुगतान की तिथि के आधार पर नाबालिग है तो, पॉलिसी के तहत प्राप्त आय / लाभ देय हैं।
3. **समनुदेशी** व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे समनुदेशी के आधार पर अधिकार और लाभ स्थानांतरित किया जाता है।
4. **समनुदेशन** एक ''समनुदेशी'' को अधिकार और लाभ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। समनुदेशन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के प्रावधानों, समय–समय पर हुए संशोधन सहित, के अनुसार होना चाहिए।
5. **मूल पॉलिसी**, पॉलिसी का बुनियादी लाभ के संदर्भ वाला हिस्सा है (इस पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट लाभ में राइडर, यदि कोई विकल्प चुना गया हो तो, के लाभ शामिल नहीं होते हैं)
6. **लाभार्थी** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार है। लाभार्थी प्रस्ताव या बीमित व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त या नामांकित व्यक्ति या साबित निष्पादक या प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि, जो भी लागू हो, हो सकता है।
7. **निगम** का मतलब एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम है।
8. **पॉलिसी प्रारंभ तिथि** इस पॉलिसी को शुरू करने की तिथि है।
9. **जोखिम प्रारंभ तिथि** वह तिथि है जिस पर निगम बीमा (संरक्षण), जैसे कि पॉलिसी की अनुसूची में उल्लेखित है, के लिए जोखिम को स्वीकार करता है।
10. **पॉलिसी जारी करने की तिथि** वह तिथि है जब एक प्रस्ताव, जोखिम अंकन के बाद, एक पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह अनुबंध प्रभावी हो जाता है।
11. **परिपक्वता की तारीख** का मतलब अनुसूची में निर्दिष्ट वह तिथि है जिस पर परिपक्वता लाभ पॉलिसीधारक को देय होगा।
12. **निहित अवधि की तिथि** (केवल तभी लागू होता है जब पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि पर बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम हो) वह तिथि है, जिस पर बीमिति व्यक्ति पॉलिसी के लाभों के लिए हकदार हो जाता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग C की शर्त 4 में विनिर्दिष्ट है।
13. **मरणोत्तर देय** राशि का मतलब है अनुबंध की शुरुआत में सहमत लाभ जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय होंगे।
14. **विमुक्ति प्रपत्र** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के तहत परिपक्वता/ समर्पण/मृत्यु लाभ का दावा करने के लिए भरा जानेवाला प्रपत्र है।
15. **पृष्ठाँकन** का मतलब निगम द्वारा जारी इस पॉलिसी से जुड़ी शर्तो/नियमों या जारी किए गए संशोधन या संशोधनों से है।
16. **अतिरिक्त शुल्क** का मतलब पॉलिसी के तहत जोखिम अंकन निर्णय के कारण लगाया गया अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, से है।
17. **प्रतिबंधित करना** नियत तारीख पर बकाया ऋण और / या ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक के कारण पॉलिसी बंद करने की एक कार्रवाई है।
18. **फ्री लुक अवधि** पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि है ताकि वह पॉलिसी के नियमों और शर्तो की समीक्षा कर सके और यदि पॉलिसीधारक इन नियमों और शर्तो में से किसी से सहमत नहीं है, तो उसके पास भाग D की शर्त 6 के अनुसार इस पॉलिसी को वापस करने का विकल्प है।
19. **निश्चित समर्पण मूल्य** पॉलिसीधारक को पॉलिसी के समर्पण पर देय न्यूनतम निश्चित राशि है।
20. **आईआरडीएआई** का मतलब भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है जिसे पहले बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के रूप में जाना जाता था।
21. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसका जीवन बीमा कवर स्वीकार कर लिया गया है।
22. **ऋण** का अर्थ ब्याज प्रतिपूर्ति योग्य वह राशि है जो पॉलिसीधारक को देय समर्पण मूल्य के बदले में निगम द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान किया जाता है।
23. **परिपक्वता लाभ** का मतलब वह लाभ है जो पॉलिसी अवधि के अंत में परिपक्वता की तारीख पर, अर्थात् परिपक्वता की निर्धारित तारीख को जीवित रहने वाले बीमित व्यक्ति को, देय है ।
24. **भौतिक जानकारी** एक ऐसी जानकारी है जो पॉलिसी प्राप्त करने के समय से पूर्व से ही बीमित व्यक्ति को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव / पॉलिसी के जोखिम अंकन को प्रभावित करती है।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

1. **Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy except for age 6 years for which the age is in completed years.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
4. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
5. **Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this Policy Document excluding benefits covered under Rider, if opted for).
6. **Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be Proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
7. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
8. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
9. **Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the Schedule of the policy.
10. **Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
11. **Date of Maturity** means the date specified in the Schedule on which the Maturity Benefit shall become payable to the policyholder.
12. **Date of vesting** (applicable only if the age of the Life Assured is below 18 years on the date of commencement of policy) is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 4 of Part C of this Policy Document.
13. **Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured.
14. **Discharge form** is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the maturity/surrender /death benefit under the policy.
15. **Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
16. **Extra charge** is the extra amount if charged under the policy due to underwriting decision.
17. **Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and/or loan interest on due date.
18. **Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy as detailed in Condition 6 of Part D.
19. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
20. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
21. **Life Assured is** the person on whose life the insurance cover has been accepted.
22. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.
23. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on date of maturity i.e. at the end of the policy term on life assured surviving the stipulated Date of Maturity.
24. **Material information** is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal/policy submitted.

25. **नाबालिग** एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 18 साल की उम्र पार नहीं की है।
26. **नामांकन** एक व्यक्ति को नामांकित करने की प्रक्रिया है जिसे प्रस्ताव फार्म में ''नामांकित'' व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, या बाद में समानुदेरान द्वारा शामिल / बदला गया है। नामांकन, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के प्रावधानों, समय–समय पर हुए संशोधनों सहित, के अनुसार होना चाहिए।
27. **नामांकित व्यक्ति** इस पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति द्वारा नामांकित व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के तहत देय दावा लाभ प्राप्त करने और दावे के निपटारे पर निगम को एक वैध निर्वहन देने के लिए अधिकृत किया गया है।
28. **सहभागी** होने का मतलब है कि पॉलिसी निगम के अनुभव के आधार पर लाभ के हिस्से के लिए योग्य है।
29. **पॉलिसी वर्षगांठ** का मतलब है पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की वही तारीख, परिपक्वता तिथि तक।
30. **पॉलिसी** / **पॉलिसी दस्तावेज** का अर्थ है निगम द्वारा जारी यह दस्तावेज, पृष्ठाँकन सहित, यदि कोई हो, जो पॉलिसीधारक और निगम के बीच एक कानूनी अनुबंध है।
31. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
32. **पॉलिसी अवधि** वह समय सीमा है, वर्ष में, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और जो पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होती है।
33. **पॉलिसी** वर्ष दो सतत् वार्षिक पॉलिसी वर्षो के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला दिन शामिल है और अगली पॉलिसी वर्षगांठ का दिन शामिल नहीं है।
34. **प्रस्तावकर्ता** एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन बीमा प्रस्ताव पेश करता है।
35. **राइडर** इस पॉलिसी दस्तावेज के तहत निर्दिष्ट बुनियादी लाभ के अलावा एक अतिरिक्त लाभ है।
36. **राइडर प्रीमियम** पॉलिसीधारक द्वारा राइडर के तहत चुने गए अतिरिक्त संरक्षण/लाभ के लिए, यदि चुना गया हो, मूल पॉलिसी के तहत प्रीमियम के साथ देय प्रीमियम है। इस राइडर प्रीमियम में कोई कर शामिल नहीं है।
37. **राइडर बीमित** रकम, राइडर के अंतर्गत अगर चुना गया हो, आने वाले किसी विशिष्ट घटना के होने पर देय बीमा राशि है।
38. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा है जो आपकी पॉलिसी का विशिष्ट विवरण देता है।
39. **निपटान विकल्प:** निपटान विकल्प, जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी की शर्त 7 में विनिर्दिष्ट है, इस पॉलिसी के तहत उपलब्ध एक विकल्प है, दावा राशि (यानी परिपक्वता लाभ या मृत्यु लाभ) प्राप्त करने के लिए, एकमुश्त राशि के बजाय बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई अवधि में किश्तों में देय हैं।
40. **एकल प्रीमियम** मूल पॉलिसी के तहत लाभ को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसीधारक द्वारा प्रदत्त राशि है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लेखित है, एकल प्रीमियम में छूट शामिल होती है, यदि कोई हो, और किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क और राइडर प्रीमियम शामिल नहीं होती है।

    इस पॉलिसी दस्तावेज में कहीं भी प्रयुक्त शब्द 'एकल प्रीमियम' में कोई कर शामिल नहीं है।
41. **मृत्यु पर बीमित रकम जोखिम** प्रारंभ होने की तिथि के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर देय बीमा राशि है।
42. **परिपक्वता पर बीमित रकम** परिपक्वता की तिथि पर देय राशि है जैसा कि इस नीति दस्तावेज के भाग C की शर्त 2 में उल्लेखित है।
43. **समर्पण का** अर्थ पूर्ण परिपक्वता से पूर्व पूर्ण पॉलिसी की वापसी / समापन है।
44. **समर्पण मूल्य**, यदि कोई हो, का अर्थ है इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार समर्पण के मामले में देय राशि है।
45. **तालिकाबद्ध एकल प्रीमियम** बीमित व्यक्ति की उम्र के आधार पर चुनी गई मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम है, जिसमें कोई भी छूट या अतिरिक्त लोडिंग शामिल नहीं है, जो मृत्यु पर बीमित रकम के निर्धारण का आधार बनाते हैं।
46. **कुल प्रदत्त प्रीमियम** पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी के तहत लाभ को सुरक्षित करने के लिए भुगतान की गयी संविदात्मक राशि है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लेखित है। इस राशि में छूट और अतिरिक्त शुल्क और राइडर प्रीमियम शामिल होती हैं, यदि कोई हो।

    इस पॉलिसी दस्तावेज में कहीं भी प्रयुक्त किए गए वाक्यांश 'कुल प्रदत्त प्रीमियम' शब्द में कोई कर शामिल नहीं है।
47. **जोखिम अंकन** जोखिम का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का वर्णन करने और यह सुनिश्चित करने कि संरक्षण की लागत संबंधित व्यक्तियों द्वारा वहनीय जोखिमों के अनुपात में है, के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। जोखिम अंकन के आधार पर, संरक्षण की स्वी.ति या अस्वी.ति का निर्णय, साथ ही उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तो के प्रयोजन, यदि कोई हो, को शामिल किया जाता है।

25. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
26. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
27. **Nominee** is the person nominated by the Life Assured under this Policy who is authorized to receive the claim benefit payable under this Policy and to give a valid discharge to the Corporation on settlement of the claim.
28. **Participating** means the Policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience.
29. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling each year thereafter, till the date of maturity.
30. **Policy/ Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
31. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
32. **Policy term** is the period, in years, as specified in the Schedule, commencing from the Date of commencement of policy.
33. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.
34. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.
35. **Rider is** an add-on benefit in addition to basic benefits as specified under this Policy Document.
36. **Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/ benefit opted under the rider, if opted. This Rider Premium does not include any taxes.
37. **Rider Sum Assured** is the assured amount payable on happening of a specified event covered under the rider, if opted.
38. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.
39. **Settlement Option:** Settlement Option, as specified in Condition 7 of Part D of this Policy Document, is an option available under this policy, to receive claim amount (i.e. Maturity Benefit or Death Benefit) in instalments instead of lumpsum amount over a period chosen by the Life Assured.
40. **Single Premium** is the amount paid by the Policyholder as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the base policy. The Single Premium is inclusive of rebate, if any and excludes any extra charges and rider premium.

    The term 'Single Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes.
41. **Sum Assured on Death** is the assured amount payable on death during the policy term after the date of commencement of risk.
42. **Sum Assured on Maturity** is the absolute amount payable on Date of Maturity as mentioned in Condition 2 of Part C of this Policy Document.
43. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy before maturity.
44. **Surrender Value means** an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.
45. **Tabular Single Premium** is the premium for the chosen Basic Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading, which form basis for determination of Sum Assured on Death.
46. **Total Premium paid is** the contractual amount paid by the Policyholder as mentioned in the Schedule of this Policy Document to secure the benefits under the base policy. This amount includes rebate and extra charges and rider premium if any.

    The term 'Total Premium paid' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes.
47. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.

48. **यूआईएन** का मतलब आईआरडीएआई द्वारा इस योजना को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या है।

49. **लाभ सहित** पॉलिसियों से मतलब वे पॉलिसी हैं जो पॉलिसी की अवधि के दौरान, पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार, किसी भी अधिशेष (लाभ) में हिस्से की हकदार हैं।

भाग–C लाभ

इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित लाभ देय हैं:

1. मरणोत्तर देय राशि

i) **पॉलिसी के पहले पांच वर्षों के दौरान मृत्यु पर:**

जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले: ब्याज रहित एकल प्रीमियम राशि की वापसी।

जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख के बाद: 'मृत्यु पर बीमित रकम' देय होगी।

ii) **पांच पॉलिसी वर्षों के पूरा होने के बाद मृत्यु होने पर, लेकिन परिपक्वता की निर्धारित तारीख से पहले:**

''मृत्यु पर बीमित रकम'' लॉयल्टी वृद्धि के साथ, यदि कोई हो, तो देय होगा।

जहा **''मृत्यु पर बीमित रकम''** को निम्न के उच्चतम रूप में परिभाषित किया गया है

- एकल प्रीमियम का 125% या
- परिपक्वता पर बीमित रकम या
- ''मृत्यु पर बीमित रकम की पूर्ण राशि'' यानी तालिकाबद्ध एकल प्रीमियम का 10 गुना

2. परिपक्वता लाभ: निर्धारित परिपक्वता तारीख को जीवित जीवन बीमाधारक पर, 'परिपक्वता पर बीमित रकम' लॉयल्टी वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ देय होगा। जहां 'परिपक्वता पर बीमित रकम' मूल बीमित राशि के बराबर है।

3. जोखिम प्रारंभ तिथि (केवल तभी लागू होती है जब बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम हो):

यदि जीवन बीमा में प्रवेश के समय धारक की आयु 8 वर्ष से कम है, 8 साल की उम्र के पूरा होने के तुरंत बाद या तत्काल इस योजना के तहत जोखिम पॉलिसी की वर्षगांठ से एक दिन पहले शुरू होगा, ।

प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमितों के लिए, जोखिम पॉलिसी जारी करने की तारीख से तुरंत शुरू होगा।

4. निहित तिथि (केवल तभी लागू होगी जब कि पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख पर बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है): यदि बीमाधारक निहित दिनांक पर जीवित है, और अगर निगम को पॉलिसी की राशि के हकदार व्यक्ति से, इस तरह की निहित तारीख से पूर्व, समर्पण का लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, तो 18 वर्ष की आयु के पूरा होने के तुरंत बाद यह पॉलिसी स्वचालित रूप से ऐसी निहित तारीख, अर्थात पॉलिसी की वर्षगांठ, पर बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और ऐसा निरुपण निगम और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा। बीमित व्यक्ति पॉलिसी का पूर्ण मालिक होगा और प्रस्तावक या उसी संपत्ति का इसमें कोई भी अधिकार या हित नहीं रहेगा।

5. एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर (यूआईएनरू 512B209V01) (यदि चुना गया है): इस पॉलिसी के उद्देश्य के लिए एक ''दुर्घटना'' को ''एक दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होती है।'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

एलआईसी का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर केवल अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी की स्थापना के समय उपलब्ध है। यह लाभ नाबालिगों के जीवन पर ली गई पॉलिसी के तहत, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान, उपलब्ध नहीं होगा।

उसी जीवन पर जिस पर निम्न लाभ लागू होते हैं, सभी पॉलिसियों के तहत बीमा की अधिकतम सीमा, व्यक्तिगत पॉलिसियों और समूह पॉलिसियों के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित, दुर्घटना लाभ की बीमित रकम किसी भी स्थिति में रू.100 लाख से अधिक नहीं होगी। अगर एक से अधिक पॉलिसी हो और अगर कुल दुर्घटना लाभ की बीमित राशि रू.100 लाख से अधिक है, तो पॉलिसी जारी करने की तिथि के अनुसार प्रथम रु.100 लाख की दुर्घटना लाभ की बीमित रकम ही मान्य होगी। यदि जब यह पॉलिसी पूर्ण बीमित राशि के लिए लागू हो तब बीमित जीवन किसी भी समय दुर्घटना वश होता है, और मात्र इस तरह की चोट के, सीधे और स्वतंत्र रूप से अन्य सभी कारणों के परिणामस्वरूप (क) या तो स्थायी और कुल विकलांगता, जैसा कि परिभाषित किया गया है या (ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह निगम की संतुष्टि पूर्वक साबित होती है, तो इस मामले में निगम इस प्रकार सहमत है:

(क) बीमित व्यक्ति की विकलांगता: 10 वर्षो में फैली हुई समान मासिक किश्तों में इस पॉलिसी के तहत दुर्घटना लाभ बीमित राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना। अगर पॉलिसी, उक्त 10 वर्षो की अवधि की समाप्ति से पहले, मृत्यु या परिपक्वता कारण दावा बन जाती

48. **UIN means** the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

49. **With Profits** policies mean policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

PART – C: BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

1. Death Benefit:

i) On death during first five policy years:

Before the date of commencement of risk: Refund of single premium without interest.

After the date of commencement of risk: **"Sum Assured on Death"** shall be payable.

ii) On death after completion of five policy years but before the stipulated Date of Maturity:

"Sum Assured on Death" along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.

Where **"Sum Assured on Death"** is defined as the highest of

- 125% of the single premium; or
- Sum Assured on Maturity; or
- "Absolute amount assured to be paid on death" i.e. 10 times of Tabular Single Premium

2. Maturity Benefit: On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity, **"Sum Assured on Maturity"** along with Loyalty Addition, if any, shall be payable. Where **"Sum Assured on Maturity"** is equal to Basic Sum Assured.

3. Date of Commencement of Risk (applicable only if the age of the Life Assured is less than 8 years):

In case the age at entry of the Life assured is less than 8 years, the risk under this plan will commence one day before the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 8 years of age.

For those aged 8 years or more at entry, risk will commence immediately from the date of issuance of policy.

4. Date of Vesting (Applicable only if the age of the Life Assured is below 18 years on the date of commencement of policy): If the Life Assured is alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such vesting date from the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in the Life Assured on such vesting date i.e. on the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to have any right or interest therein.

5. LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN: 512B209V01) (If opted): An 'Accident' for the purpose of this policy is defined as "An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider is available only at the inception of the policy on payment of additional premium. This benefit will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured.

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs.100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is inforce for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either permanent and total disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees in case of:

(a) Disability to the Life Assured: pay additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured in equal monthly instalments spread over 10 years under this Policy. If the policy becomes a claim by the way of death or maturity before the expiry of

है, तो विकलांगता लाभ किश्तें, जो अभी तक देय नहीं हैं, दावे की राशि के साथ भुगतान करना।

यदि विकलांगता लाभ के लिए किया गया दावा स्वीकार्य है, तो इस खंड के 5(ख) द्वारा संरक्षण लाभ लागू होना बंद हो जाएगा।

उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगता किसी 'दुर्घटना' के कारण घटी हुई होनी चाहिए तथा कुल और स्थायी होना चाहिए। अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र दुर्घटना से होने वाली चोटें और परिणाम स्वरूप ऐसी दुर्घटना के घटने के 180 दिनों के भीतर ऐसी विकलांगता जिसके कारण बीमित जीवन में स्थायी रूप से दैनिक जीवन के निम्न क्रियाकलापों (नीचे वर्णित) में से कम से कम 4 (चार) कार्य, किसी बाहरी सहायता / सहयोग, यांत्रिक उपकरणों, विशेष उपकरणों या अन्य सहायक उपकरणों के उपयोग के बिना कार्य करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी अक्षमता को कुल और स्थायी रूप में माना जाएगा। कुल और स्थायी अक्षमता को प्रमाणित करने के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सकीय परीक्षक बीमित व्यक्ति की जांच करेगा..

दैनिक जीवन गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- पहनावा – सभी आवश्यक वस्त्रों, कृत्रिम अंगों या अन्य सर्जिकल उपकरणों, जो कि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हैं, को पहनने और उतारने की क्षमता।
- धुलाई – सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए धोने की क्षमता।
- खाना – भोजन तैयार होने और परोसे जाने के बाद एक प्लेट या कटोरे से भोजन को मुंह तक ले जाने की क्षमता।
- शौचालय – शौचालय का इस्तेमाल करने या अन्यथा आंत्र और मूत्राशय के कार्यों का उपयोग करने की क्षमता ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता के संतोषजनक स्तर को बनाए रख सकें।
- गतिशीलता – निवास के सामान्य स्थान में घर के अंदर समतल सतह पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की क्षमता।
- स्थानांतरित होना – एक बिस्तर से सीधी खड़ी कुर्सी या व्हीलचेअर पर चढ़ने की क्षमता और इसके ठीक विपरीत।

उपरोक्त उल्लेख के अलावा भी, अन्य सभी कारणों से परे दुर्घटना से लगी चोटें और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के भीतर, नतीजतन दोनों आँखों की पूरी दृष्टि की अपूरणीय क्षति या कलाई तक या उससे ऊपर दोनों हाथों का विच्छेदन या ऐड़ी तक या उससे ऊपर दोनों पैरों का विच्छेदन, या कलाई तक या उससे ऊपर एक हाथ का विच्छेदन और ऐड़ी या उसके ऊपर एक पैर का विच्छेदन हो तो इस स्थिति को विकलांगता समझा जाएगा।

विकलांगता होने के बाद, निगम के कार्यालय को जहां यह पॉलिसी की सेवा प्राप्त है, बीमित व्यक्ति के तत्कालीन पते के साथ लिखित में पूरा विवरण देना होगा और विकलांगता होने के 90 दिनों के भीतर, निगम की पुष्ठी हेतु, और निगम के लागत के बिना, विकलांगता का प्रमाण निगम के सेवा प्राप्त कार्यालय को दिया जाना चाहिए, वांछित तरीके से। सूचना के बाद निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परीक्षक बीमित व्यक्ति की जांच करेगा तथा विकलांगता को प्रमाणित करेगा। इसके अलावा, यदि आवश्यक हुआ तो, मामले के आधार पर विकलांगता की निरंतरता की पुष्टी करने के लिए चिकित्सा जांच की जा सकती है।

किसी भी समय यह ज्ञात होने पर, कि इस खंड के तहत कोई दावा गलत तरीके से स्वीकार किया गया है, बीमाकर्ता को दी गई अतिरिक्त बीमा राशि के सभी किश्तें, समय–समय पर निगम द्वारा तय की गई दर पर ब्याज सहित, निगम को एकमुश्त वापस करना होगा, जैसे कि कोई विकलांगता नहीं हुई थी, ऐसा न करने पर पहले भुगतान की जा चुकी अतिरिक्त राशि के किश्तों को उक्त पॉलिसी के तहत एक ऋण माना जाएगा और इसे पॉलिसी की आय से, समय–समय पर निगम द्वारा तय की गई दर पर ब्याज सहित, काटा जाएगा।

अतिरिक्त दुर्घटना लाभ बीमा राशि की कोई और किस्त देय नहीं होगी, जैसे कि कोई विकलांगता नहीं हुई है।

(ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु: मूल पॉलिसी के तहत मृत्यु हितलाभ के अलावा, इस पॉलिसी के तहत दुर्घटना लाभ बीमित राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि देय होगी। हालांकि, दुर्घटना के समय पॉलिसी लागू होना चाहिए, भले ही मृत्यु के समय यह लागू हो या नहीं।

निगम उपरोक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर विकलांग या बीमित व्यक्ति की मृत्यु:

(i) जानबूझकर स्वयं को चोट पहुँचाने, आत्महत्या करने का प्रयास, पागलपन या अनैतिकता के कारण होती है या जब बीमाकृत व्यक्ति शराब, नशीले पदार्थ या नशीली दवाओं के प्रभाव या उपभोग के

the said period of 10 years, the disability benefit instalments which have not fallen due will be paid along with the claim.

In case the claim for disability benefit is admissible the benefit covered by 5(b) of this clause shall cease to apply.

The disability above referred to must be disability which is the result of an 'Accident' and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident result in such disability due to which life assured is unable to perform at least 4 (four) of the following Activities of Daily Living (defined below) permanently without any external help/support including the use of mechanical equipment, special devices or other aids, then such disability shall be treated as Total and Permanent. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the life assured to certify the disability as Total and Permanent.

The Activities of Daily Living are:

- Dressing - the ability to put on and take off all necessary garments, artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
- Washing - the ability to wash to maintain an adequate level of cleanliness and personal hygiene
- Feeding - the ability to transfer food from a plate or bowl to the mouth once food has been prepared and made available
- Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory level of personal hygiene
- Mobility - the ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence
- Transferring - the ability to move from a bed to an upright chair or wheel chair and vice versa

Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident, result in the irrecoverable loss of the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability.

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation where this Policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life Assured and within 90 days of the happening of the disability, must be given to the servicing Office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further, medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

In the event of it being discovered at any time that a claim under this clause has been wrongly admitted, all instalments of additional sum assured which have been paid to the life assured shall be returned to the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as fixed by the Corporation from time to time as if no disability had occurred, failing which the instalments of additional sum assured already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of additional Accident Benefit Sum Assured shall be payable considering as if no disability had occurred.

(b) Death of the Life Assured: In addition to Death Benefit under the Base Policy, an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this policy. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred in (a) or (b) above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor,

अधीन हो (यदि यह इलाज के एक हिस्से के रूप में चिकित्सक द्वारा निर्धारित नहीं हो); या

(ii) दंगों में भाग लेने से होने वाली चोटों के कारण, हंगामा, विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, घुड़दौड़, किसी भी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग, साहसी खेलों में भाग लेने; या

(iii) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे के साथ कोई आपराधिक .त्य करने के कारण; या

(iv) (क) सशस्त्र बलों या सैन्य सेवा में बीमित व्यक्ति की नियुक्ति के कारण। यह अपवर्जन लागू नहीं होगा अगर बीमित व्यक्ति दुर्घटना के वक्त ड्यूटी पर नहीं था, या हमारे देश में प्रा.तिक आपदाओं का सामना करते हुए किसी भी बचाव कार्य में शामिल था; या

(ख) अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस कर्तव्य में लगे होने के कारण होती है (जिसमें प्रशासनिक कार्य शामिल नहीं है)। यह अपवर्जन वहां लागू नहीं होता है, जहां दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता लाभ को कवर करने के लिए पुलिस कर्तव्य में लगे होने के दौरान दुर्घटना होने का विकल्प चुना गया है; या

(v) बीमित व्यक्ति की दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के बाद हो।

मूल पॉलिसी के समर्पण पर देय लाभ: यह राइडर को कोई भी प्रदत्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा और इस राइडर के तहत कोई समर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, अगर इस राइडर को चुना गया है और मूल पॉलिसी के समर्पण पर जिसके साथ यह राइडर संलग्न है और अगर मूल पॉलिसी ने समर्पण मूल्य हासिल कर लिया है, तो समर्पण की तारीख के बाद बकाया कार्यकाल के लिए संरक्षण के संबंध में लगाया गया अतिरिक्त राइडर प्रीमियम निम्न रूप में वापस किया जाएगा:

राइडर प्रीमियम का 90%* (पूर्ण वर्ष में इस राइडर की बकाया अवधि/ इस राइडर के संबंध में पॉलिसी अवधि)

6. लाभ में भागीदारी: निगम के अनुभव के आधार पर इस योजना के तहत खरीदी जाने वाली पॉलिसी पांच पॉलिसी वर्षो के पूरा होने के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु या परिपक्वता के रूप में समाप्ति के समय लायल्टी वृद्धि के रूप में अधिशेष (लाभ) में हिस्सेदारी की पात्र होगी, निगम द्वारा घोषित दर पर और नियमों के अनुसार देय होगी।

इसके साथ – साथ, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के समर्पण पर विशेष समर्पण मूल्य भुगतान के समय लायल्टी वृद्धि, यदि कोई हो, पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी ने पांच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिये हों।

भाग – D: सेवा के पहलुओं से संबंधित शर्तें

1. आयु का प्रमाण: प्रीमियम की गणना मूल बीमित राशि और बीमित व्यक्ति की आयु, जो कि प्रस्ताव में घोषित है, के आधार पर की गई है। अगर आयु ऐसी आयु से अधिक पाई जाती है, तो निगम के अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बीमा अधिनियम, 1938 के सहित, ऐसे मामले में प्रीमियम मूल बीमित राशि और राइडर बीमा राशि, अगर चुना गया हो, पर गणना की दर पर देय होग, प्रवेश पर सही आयु के अनुसार, और सही आयु के लिए प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच संचित अंतर, पॉलिसी के प्रारंभ से इस तरह के भुगतान की तारीख तक, समय–समय पर निगम द्वारा तय की गई दर पर ब्याज के साथ, निगम को भुगतान किया जाएगा। हालांकि, अगर बीमित व्यक्ति / प्रस्तावक उपर्युक्त संचित हुए ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो जिस तिथि पर पॉलिसी एक दावा बन जाती है, तब सही आयुके लिए प्रीमियम और इस पॉलिसी के प्रारंभ पर मूल प्रीमियम के बीच संचित अंतर, निगम द्वारा समय–समय पर तय की जाने वाली दर पर ब्याज के साथ, जोड़ा जायेगा और इसे पॉलिसी के विरूद्ध बीमित / प्रस्तावक को दिया गया ऋण माना जाएगा और पॉलिसी के दावा बनने पर देय पॉलिसी की राशि से इसकी कटौती की जाएगी।

बशर्ते कि यदि प्रवेश पर बीमित व्यक्ति की सही आयु ऐसी है जो उसे इस वर्ग या उस समय के अनुसूची में निर्दिष्ट बीमा शर्तो के अनुसार, बीमा के अयोग्य बनाती है, तो पॉलिसीधारक की सहमति पर, इस पॉलिसी के प्रारंभ के समय निगम द्वारा लागू नियमों के अनुसार इस तरह की बीमा योजना की वर्ग या शर्तो को बदल दिया जाएगा, अन्यथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

2. कुछ मामलों में जब्ती: अगर शामिल या समर्थित किसी शर्त में का उल्लंघन किया जाता है या यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत बयान, घोषणा और जुड़े दस्तावेज में कोई भी गलत या झूठा वक्तव्य शामिल है या कोई भी भौतिक जानकारी को छिपाया गया है, तब और हर ऐसे मामले में, यह पॉलिसी शून्य होगी और यहां पर किसी भी लाभ के सभी दावे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के समय–समय पर संशोधित प्रावधानों के अधीन होगा।

narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or

(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or

(iii) result from Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or

(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country; or

(b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

(v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

Benefits payable on surrender of Base Policy: This rider shall not acquire any Paid-up Value and no surrender value will be available under this rider. However, if this rider has been opted for and on surrender of the Base Policy to which this rider is attached and the Base Policy has acquired surrender value, additional rider premium charged in respect of cover for the outstanding term after date of surrender shall be refunded as follows: 90% of Rider Premium * (outstanding term for this rider in completed years / Policy term in respect of this rider)

6. **Participation in the Profits:** Depending upon the Corporation's experience the policies under this plan shall be eligible for share in surplus (profits) in the form of Loyalty Addition at the time of exit after completion of five policy years in the form of Death during the policy term or Maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

In addition, Loyalty Addition, if any, shall also be considered in Special Surrender Value payment on surrender of policy during the policy term, provided the policy has completed five policy years.

PART – D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** The premium having been calculated based on the Basic Sum Assured and the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured and Rider Sum Assured, if opted for, for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured /Proposer does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured/ Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this Policy subject to the consent of the policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

2. **Forfeiture in Certain Events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit by virtue hereof shall be subject to the provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

3. **पॉलिसी ऋण:** इस पॉलिसी के तहत, पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तारीख से 3 महीने) या फ्री–लुक अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय पॉलिसी ऋण का लाभ उठाया जा सकता है जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। ऐसी राशि पॉलिसी के समर्पण मूल्य से कम होगी और निगम द्वारा समय–समय पर तय किये गये अन्य नियम और शर्तो के अधीन होगी:

   (i) अधिकतम ऋण राशि, समर्पण मूल्य का 90: होगा।

   (ii) नाबालिग के जीवन बीमा के दौरान ऋण का प्रस्ताव प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है बशर्ते यह ऋण नाबालिग बीमाधारक के लाभ के लिए लिया जा रहा हो;

   (iii) पॉलिसी पूरी तरह से ऋण के पुनर्भुगतान और इसके ब्याज की सुरक्षा के लिए निगम को सौंपी जाएगी;

   (iv) ऋण पर ब्याज का भुगतान निगम को अर्ध–वार्षिक आधार पर इस पॉलिसी के तहत ऋण लेने के समय निगम द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर किया जाएगा। ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छह महीने पहले की तिथि पर, जो भी ऋण स्वी.त होने की तिथि के तुरंत बाद हो, और उसके बाद प्रत्येक छ: माह में, किया जाएगा। ब्याज न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लागू ब्याज दर 10: प्र.व., अर्ध वार्षिक देय, है;

   (v) नियत तारीख पर ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, और जब ब्याज के साथ बकाया ऋण राशि समर्पण मूल्य से अधिक हो, निगम ऐसी पॉलिसी को रोक देगा। इस तरह की पॉलिसियों को बंद कर दिये जाने पर वे समर्पण मूल्य और ब्याज के साथ बकाया ऋण राशि के अंतर का भुगतान, यदि कोई हो, का भुगतान प्राप्त करने की हकदार होंगी;

   (vi) निगम 3 महीने का नोटिस देकर सभी उचित ब्याज के साथ ऋण की राशि को पुनर्प्राप्त करने या वापस मांगने का हकदार है;

   (vii) अगर पॉलिसी परिपक्व हो जाती है या समर्पण कर दिया जाता है या मृत्यु के द्वारा दावा बन जाती है, तो निगम द्वारा पॉलिसी की राशि से समस्त ब्याज के साथ बकाया ऋण की राशि काटी जा सकती है।

4. **समर्पण:** पॉलिसी का इसकी अवधि के दौरान किसी भी समय समर्पण किया जा सकता है।

   पॉलिसी के समर्पण पर, निगम निश्चित समर्पण मूल्य और विशेष समर्पण मूल्य के बराबर समर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

   स्वीकार्य निश्चित सपर्मण मूल्य निम्नानुसार होगा:

   - प्रथम वर्ष: एकल प्रीमियम का 70:
   - इसके बाद: एकल प्रीमियम का 90:

   विशेष समर्पण मूल्य मूल बीमा राशि से गुणा करके विशेष समर्पण मूल्य गुणक होगा। इस पॉलिसी पर लागू विशेष समर्पण मूल्य कारक समय–समय पर आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के साथ बदल सकते हैं। लॉयल्टी जोड़, यदि कोई हो, भी विशेष समर्पण मूल्य भुगतान में जोड़ा जाएगा, बशर्ते पॉलिसी ने पांच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिये हों।

   राइडर, अगर इसे चुना गया हो, पर कोई समर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

5. **पॉलिसी का समापन:**

   पॉलिसी तत्काल और स्वचालित रूप से निम्न में से किसी भी घटना की शुरुआत पर समाप्ति हो जाएगी:

   क) मृत्यु पर; या

   ख) समर्पण पर; या

   ग) परिपक्वता की तारीख पर; या

   घ) भाग क की शर्त 3 में विनिर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

   ङ) फ्री–लुक रद्दीकरण के तहत पॉलिसी वापस करने पर।

6. **फ्री–लुक अवधि:** यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के किसी भी नियम और शर्तो से असहमत हैं, तो वह पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर, अपनी आपत्तियों और असहमति का कारण बताते हुए, पॉलिसी वापस कर सकते हैं। पॉलिसी प्राप्त होने पर हम उसे रद्द कर देंगे और आपके द्वारा जमा प्रीमियम की राशि, आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर का, यदि चुना गया है) संरक्षण की गई अवधि और चिकित्सा परीक्षा का शुल्क, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, और स्टांप ड्यूटी घटाकर, वापस कर दी जाएगी।

7. **निपटान विकल्प:** निपटान विकल्प दावा राशि प्राप्त करने का एक विकल्प है (यानी परिपक्वता लाभ या मृत्यु लाभ) एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किश्तों में। यह विकल्प केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बीमाधारक द्वारा, पॉलिसी के तहत देय मृत्यु/ परिपक्वता

3. **Policy Loan:** Policy Loan can be availed under this policy at any time after three months from completion of the policy (i.e. 3 months from the Date of issuance of policy) or after expiry of the Free-Look Period, whichever is later, subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

   (i) The maximum loan that can be granted shall be 90% of the surrender value.

   (ii) The loan during the minority of Life Assured can be availed by the proposer provided the loan is raised for the benefit of the minor Life Assured;

   (iii) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;

   (iv) Interest on the loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next policy anniversary whichever immediately follows the date on which the loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months. For financial year 2017-18, the applicable interest rate is 10% p.a payable half yearly;

   (v) In the event of default in payment of Loan interest on the due date as herein mentioned above and when the outstanding loan amount along with interest is to exceed the surrender value, the Corporation shall be entitled to foreclose such policies. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of the difference of surrender value and the outstanding Loan amount along with interest, if any;

   (vi) Corporation is entitled to recover or recall the amount of the Loan with all due interest by giving 3 months' notice;

   (vii) In case the policy shall mature or is surrendered or becomes a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of outstanding loan together with all interest from the policy moneys.

4. **Surrender:** The policy can be surrendered at any time during the policy term.

   On surrender of the policy, the Corporation shall pay the Surrender Value equal to higher of Guaranteed Surrender Value and Special Surrender Value.

   The Guaranteed Surrender Value allowable shall be as under:

   - First year: 70% of the Single Premium
   - Thereafter: 90% of the Single Premium

   The Special Surrender Value will be the Special Surrender Value factor multiplied by the Basic Sum Assured. The Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of the IRDAI. Loyalty Addition, if any, shall also be considered in Special Surrender Value payment, provided the policy has completed five policy years.

   No surrender value will be available on rider, if opted for.

5. **Termination of Policy:**

   The policy shall immediately and automatically terminate on the earliest occurrence of any of the following events:

   a) On death; or

   b) On surrender; or

   c) On the date of maturity; or

   d) In the event of default in payment of loan interest as specified in Condition 3 of Part D; or

   e) On return of policy for free look cancellation

6. **Free Look period:** During the Free Look period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms or Conditions of the policy, he/ she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of Total Premium paid after deducting the proportionate risk premium (For Base Policy and Rider(s), if opted for) for the period on cover and charges for medical examination, special reports, if any and stamp duty.

7. **Settlement Option:** Settlement Option is an option to receive claim amount (i.e. Maturity Benefit or Death Benefit) in installments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lump sum amount. This option can be exercised only by the Life Assured aged 18 years or above, for full or part of the Death/Maturity proceeds payable under the policy. The amount

राशि के पूर्ण या अंश के लिए, प्रयोग किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा निर्धारित राशि (अर्थात शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या कुल देय राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किश्तें वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या तिमाही या मासिक अंतराल पर, जो भी चुना गया हो, अग्रिम रूप से बनाई जाएंगी, जबकि भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त की राशि निम्न के अधीन होगी:

किस्त भुगतान का तरीका	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5000/–
त्रैमासिक	रू. 15000/–
अर्ध–वार्षिक	रू. 25000/–
वार्षिक	रू. 50000/–

यदि निवल दावा राशि आवश्यक से कम है, तो बीमाधारक द्वारा किए गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किश्त की राशि प्रदान करने के लिए, दावा राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

निपटान विकल्प के तहत किश्त के भुगतान के लिए लागू ब्याज दरों को निगम द्वारा समय–समय पर तय किया जाएगा।

मृत्यु लाभ के विरूद्ध निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवन के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी की मुद्रा में, निपटान विकल्प की अवधि और शुद्ध दावा राशि जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है निर्दिष्ट करते हुए, इस विकल्प का उपयोग कर सकता है। तब नामांकित व्यक्ति को मृत्यु के दावे राशि का बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

परिपक्वता लाभ के विरूद्ध निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति को किश्तों में दावे की शुद्ध राशि के भुगतान के विकल्प परिपक्वता दावे की नियत तारीख से कम से कम 3 महिने पहले प्रयोग करना होगा।

परिपक्वता लाभ के विरूद्ध निपटारा विकल्प के तहत किस्त का भुगतान प्रारंभ होने बादः

- यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिन्होंने परिपक्वता लाभ के विरूद्ध निपटान विकल्प का प्रयोग किया था, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किश्तों को कम करना चाहता है तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि, जो निम्नलिखित से अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  - भविष्य की सभी बकाया किश्तों का रियायती मूल्य; या
  - (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था) मे से (पहले से चुकाई गई कुल किश्तों का योग) को घटाकर देय होगा;
- भविष्य की किश्तों के भुगतान में रियायत पर लागू ब्याज दर, जो भी समय–समय पर निगम द्वारा तय की जाएगी।
- परिपक्वता की तारीख के बाद, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को बकाया किश्तों का भुगतान करना जारी रहेगा और नामांकित व्यक्ति द्वारा किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाग– E

लागू नहीं

भाग– F

अन्य नियम व शर्तें

1. क) समनुदेशनः इस योजना के तहत समनुदेशन की अनुमति बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38, समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित, के अनुसार दी गई है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के अनुलग्नक –1 में शामिल हैं। समनुदेशन की सूचना निगम के उसी कार्यालय में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए जहां पॉलिसी सेवा की जा रही है।

   ख) नामांकनः जीवन बीमा पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन बीमा कानून, 1938 की धारा 39, समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित, के अनुसार आवश्यक है। धारा 3 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के अनुलग्नक–II में शामिल हैं। नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना पंजीकरण के लिए निगम के उसी कार्यालय में जमा की जाना चाहिए, जहां पॉलिसी की सेवा की जा रही है। नामांकन पंजीकरण में निगम कोई भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है और न ही इसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के संबंध में कोई भी राय व्यक्त करता है।

2. आत्महत्याः पॉलिसी शून्य होगी अगर बीमित व्यक्ति (चाहे समझदार या विक्षिप्त) जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीनों के भीतर किसी भी

opted by the Life Assured (i.e. net claim amount) can be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The installments shall be made in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for, subject to minimum installment amount for different modes of payments being as under:

Mode of Installment payment	Minimum installment amount
Monthly	Rs. 5000/-
Quarterly	Rs. 15000/-
Half-Yearly	Rs. 25000/-
Yearly	Rs. 50000/-

If the net claim amount is less than the required amount to provide the minimum installment amount as per the option exercised by the Life Assured, the claim proceed shall be paid in lump sum only.

The interest rates applicable for arriving at the installment payments under Settlement Option shall be as fixed by the Corporation from time to time.

For exercising the settlement option against Death Benefit, the Life Assured can exercise this option during his/her life while in currency of the policy, specifying the period of settlement option and net claim amount for which the option is to be exercised. The death claim amount shall then be paid to the nominee as per the option exercised by the Life Assured.

For exercising the settlement option against Maturity Benefit, the Life Assured shall be required to exercise option for payment of net claim amount in installments at least 3 months before the due date of maturity claim.

After the commencement of Installment payments under Settlement Option against Maturity Benefit:

- If a Life Assured, who has exercised Settlement Option against Maturity Benefit, desires to withdraw this option and commute the outstanding instalments the same shall be allowed on receipt of written request from the Life Assured. In such case, the lumpsum amount, which is higher of the following shall be paid and the policy shall terminate.
  - discounted value of all the future installments due; or
  - (the original amount for which settlement option was exercised) less (sum of total installments already paid);
- The interest rates applicable for discounting the future installment payments, shall be as fixed by the Corporation from time to time.
- After the Date of Maturity, in case of death of the Life Assured, who has exercised Settlement Option, the outstanding installments will continue to be paid to the nominee as per the option exercised by the Life Assured and no alteration whatsoever shall be allowed to be made by the nominee.

PART E

Not Applicable

PART – F

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. a) **Assignments:** Assignment is allowed under this plan as per Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure - I of this Policy Document. The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

   b) **Nominations:** Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this Policy Document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. **Suicide:** The policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from

समय आत्महत्या कर लेता है,एक राशि जो एकल प्रीमियम या समर्ण मूल्य के 90: से अधिक है, देय होगी। निगम इस पॉलिसी के तहत किसी अन्य दावे को स्वीकार नहीं करेगा।

यह खंड उस बीमित व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा, जिसकी आयु प्रवेश के समय 8 साल से कम है अर्थात यदि बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है, तो ब्याज के बिना एकल प्रीमियम देय होगी।

3. कर: वैधानिक कर, यदि कोई भारत सरकार या भारत के किसी भी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा इस तरह की बीमा योजनाओं पर लगाया गया जाता है, कर कानूनों और समय–समय पर लागू कर की दर के मुताबिक लागू होगा।

लागू करों की राशि, प्रचलित दरों के अनुसार, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम पर देय होगा, जो कि पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अलावा अलग से एकत्र किया जाएगा।

योजना के तहत देय किसी भी लाभ की गणना में कर भुगतान की राशि शामिल नहीं की जाएगी।

4. दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएं: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावा दर्ज करने के लिए दावेदार जो सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ताकि निगम पुष्टि कर सके वे हैं दावा प्रपत्र, जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित है, मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ, दावेदार द्वारा बैंक खाते में सीधे जमा के लिए एनईएफटी जनादेश, अधिकार का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पहले चिकित्सा उपचार, स्कूल / कॉलेज / नियोक्ता के प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो। यदि पॉलिसी के तहत आयु नहीं दी गई है, जीवन बीमाधारक की उम्र का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

जहां पॉलिसी पर परिपक्वता दावा किया जाता है या पॉलिसी के समर्पण के मामले में, बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ, दावेदार के बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए एनईएफटी जनादेश, विमुक्ति फॉर्म, साथ ही अगर आयु पहले नहीं दी गई है तो, आयु का सबूत प्रस्तुत करेगा।

आकस्मिक मृत्यु लाभ और विकलांगता दावे पर विचार करने के लिए, उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जिनके तहत मृत्यु / विकलांगता हुई थी, निम्न सूची से लागू विवरणियों को मांगा जा सकता है:–

1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रमाणित प्रति।
2) पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
3) पंचनामा की प्रतिलिपि।
4) मौत के संभावित कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यदि पोस्ट–मार्टम में आंत संरक्षित की गई है, तो सामग्री को जानने के लिए रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट ताकि यह जान सके कि बीमित व्यक्ति ने शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थ या जहर का सेवन किया है।
5) समाचार पत्र की पन्ने जहां दुर्घटना की सूचना दी गई हो।
6) यदि मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, अगर बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा था।
7) मृत्यु के संबंध में उप–विभागीय न्यायाधीष का अंतिम फैसला– यह मृत्यु का वर्गीकरण देगी श्प्रा.तिक / आत्महत्या / आकस्मिकश।
8) जब दुर्घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को नहीं दी जाती है, जैसे कि कुत्ते या सांप के काटने की वजह से मृत्यु होने पर, तो वैकल्पिक प्रमाण जैसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारियों का हलफनामा, हमारी अपनी जांच रिपोर्ट, चिकित्सक या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त हो सकती है।
9) अस्पताल उपचार रिकॉर्ड, आदि

मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर, मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मौत की सूचना लिखित रूप में निगम के उस कार्यालय को सूचित की जानी चाहिए जहां पॉलिसी की सेवा की जा रही है। हालांकि, दावेदार द्वारा दावा की सूचना में देरी, यदि कोई हो, योग्य होने पर निगम द्वारा माफ की जा सकती है, जहां देरी उसके नियंत्रण से परे के कारण साबित हो।

5. वैधानिक परिवर्तन: इस नीति के तहत देय लाभ सहित नियम और शर्तें प्रासंगिक कानून और विनियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।
6. लाभ विवरण: आपका अनुकूलित लाभ विवरण इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न है।

भाग– G: वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1 9 38 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान, समय–समय पर हुए संशोधनों सहित, लागू किया जाएगा। वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के अनुलग्नक–3 में शामिल हैं।

शिकायत निवारण तंत्र:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा / विभागीय / क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी उपलब्ध हैं। ग्राहक

the date of commencement of risk, an amount which is higher of 90% of the Single Premium or Surrender Value shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.

This clause shall not apply in case of Life Assured whose age at the time of entry is below 8 years i.e. if age of the Life assured is below 8 years on suicide Single Premium without interest shall be payable.

3. **Tax:** Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of applicable taxes, as per the prevailing rates, shall be payable by the policyholder on premiums payable under the policy, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder.

The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of any benefits payable under the plan.

4. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, school/ college/ employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

For considering accidental death benefit and disability claim, the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death / disability took place:-

1) A certified copy of first information report (FIR).
2) A certified copy of police inquest report.
3) Copy of panchanama.
4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
5) News paper cuttings where accident is reported.
6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.
9) Hospital treatment records, etc.

Within 90 days from the date of death, intimation of death along with death certificate must be notified in writing to the office of the Corporation where the policy is serviced. However, delay in intimation of the claim by the claimant, if any, may be condoned by the Corporation, on merit, where delay is proved to be for reasons beyond his/her control.

5. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.
6. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration is enclosed with this Policy Document.

PART – G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of the Insurance Act, 1938:

The provisions of the sections 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-III of this Policy Document.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers.

शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकी.त शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जो http://www.licindia.in है, जहां एक पंजी.त पॉलिसीधारक शिकायत सीधे रजिस्टर कर सकता है और इसकी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निपटारे के लिए ई–मेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमारी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो ग्राहक निम्नलिखित मोड में से किसी एक के माध्यम से आईआरडीएआई के शिकायत सेल से संपर्क कर सकता है:

- कॉल करने हेतु टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीए शिकायत कॉल सेंटर)
- complaints@irda.gov.in पर ईमेल भेजना।
- शिकायत ऑनलाइन http://www.igms.irda.gov.in पर रजिस्टर करना।
- कूरियर / पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए पता:
  उपभोक्ता मामला विभाग, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, 9 वीं मंजिल, यूनाइटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद – 500 029, आंध्र प्रदेश
- फैक्स द्वारा 040–6678 9 768 पर शिकायत भेजना।

यदि दावेदार मृत्यु के दावे के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके पास क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति की समीक्षा के लिए उनके मामले भेजने का विकल्प होता है। एक सेवानिवृत उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय के न्यायाधीश प्रत्येक दावे विवाद निवारण समितियों के सदस्य हैं। दावे संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत में त्वरित मध्यस्थता प्रदान करता है।

ध्यान दें:

यदि आपके पास कोई शिकायत / समस्या है, तो आप शिकायत निवारण अधिकारी / लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता निम्नानुसार है:

शाखा कार्यालय का पता और ई–मेल आईडी:

शिकायत निवारण अधिकारी का पता:

बीमा लोकपाल का पता:

नोट: इन नियमों और शर्तों और विशेष प्रावधान / शर्तों की व्याख्या के संबंध में विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें, और अगर कोई भी त्रुटी मिलती है, तो सुधार के लिए तत्काल वापस करें।

अनुलग्नक–I

समनुदेशन – बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित है

(1) बीमा पॉलिसी का हस्तांतरण या समनुदेशन, पूर्ण या आंशिक, भले ही विचारित या अविचारित रूप से, केवल पॉलिसी पर ही एक पृष्ठांकन द्वारा या एक अलग उपकरण द्वारा, किसी भी मामले में हस्ताक्षरित हस्तांतरणकर्ता द्वारा या समनुदेशी या उसके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा और कम से कम एक गवाह के अनुप्रमाणन द्वारा, स्थानांतरण या समनुदेशन के तथ्य, और इसके कारण, समनुदेशन की पूर्ववर्ती और जिन शर्तों पर समनुदेशन किया गया है को विशेष रूप से उल्लेखित करते हुए, किया जा सकता है।

(2) एक बीमा कंपनी, हस्तांतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकती है या उप–धारा (1) के तहत किए गए किसी भी अनुलेखन पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहां यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हों कि ऐसा हस्तांतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या सार्वजनिक हित में नहीं है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से किया गया है।

(3) बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर कार्रवाई करने से इनकार करने से पूर्व, पॉलिसी–धारक द्वारा दी गई ऐसे स्थानान्तरण या समनुदेशन की सूचना की तिथि से तीस दिनों के अंदर, इस तरह के इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करेगा और पॉलिसीधारक को संचारित करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के हस्तांतरण या समनुदेशन पर कार्य करने से इनकार करने के बीमाकर्ता के निर्णय से पीड़ित है,बीमाकर्ता से ऐसे इनकार के कारण वाले संचार की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, यह स्थानान्तरण या समनुदेशन इस तरह के विधिवत अनुप्रमाणित पृष्ठाँकन या उपकरण के निष्पादन पर पूर्ण और प्रभावी होगा, लेकिन सिवाय, जहां हस्तांतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमा कंपनी के विरूद्ध काम नहीं करेगा, और हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशी व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि को इस तरह की पॉलिसी या उसके द्वारा सुरक्षित धन की राशि के लिए मुकदमा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा जब तक स्थानांतरण या समनुदेशन की लिखित में कोई सूचना और या तो उक्त पृष्ठांकन या उपकरण स्वयं या हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी दोनों या उनके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता

For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter: Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

Address and e-mail ID of Branch Office:

Address of Grievance Redressal officer:

Address of Insurance Ombudsman:

NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

Annexure - I

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

द्वारा प्रमाणित इसकी सत्यापित प्रतिलिपि बीमाकर्ता को प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि जब बीमा कंपनी भारत में एक या एक से अधिक स्थान रखती है, ऐसी सूचना केवल उस स्थान पर प्रदाय की जाएगी जहां पॉलिसी की सेवा की जा रही है।

(6) जिस तारीख को उप–धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस बीमाकर्ता को दिया जाता है वही पॉलिसी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच स्थानांतरण या समनुदेशन के तहत सभी दावों की प्राथमिकता को विनियमित करेगी; और जहां स्थानांतरण या समनुदेशन एक से अधिक उपकरण हैं वहाँ इस तरह के उपकरणों के तहत दावों की प्राथमिकता उसी क्रम में शासित होगी जिस क्रम में उप–धारा (5) में उल्लिखित सूचना दी गई हो:

बशर्ते कि अगर अभिहस्तांकितियों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के रूप में कोई भी विवाद उठता है, तो विवाद प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

(7) उप–धारा (5) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, बीमाकर्ता ऐसे स्थानान्तरण या समनुदेशन के तथ्य को उसके दिनांक और हस्तांतरी या समनुदेशी का नाम के साथ रिकॉर्ड करेगा और, जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी उसके, या हस्तांतरी या समनुदेशी के अनुरोध पर, नियमों द्वारा निर्दिष्ट इस तरह के शुल्क के भुगतान पर, ऐसी सूचना की प्राप्ति की एक लिखित स्वी.ति प्रदान करेगा; और ऐसी कोई पावती बीमाकर्ता के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य होगी कि उन्होंने उस सूचना को विधिवत प्राप्त किया है जो इस प्रकार की पावती से संबंधित है।

(8) स्थानांतरण या समनुदेशन के नियम और शर्तों के अधीन, बीमा कंपनी उप–धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, सूचना में नामित हस्तांतरी या समनुदेशी व्यक्ति की पहचान, पॉलिसी के तहत लाभ के हकदार पूर्ण हस्तांतरी या समनुदेशी व्यक्ति के रूप में करेगा और ऐसे व्यक्ति उन सभी देनदारियों और न्याय के अधीन होगा, जिनके अधिनस्थ हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशी हस्तांतरण या समनुदेशन की तिथि पर था और पॉलिसी के संबंध में किसी भी कार्यवाही की स्थापना कर सकता है, पॉलिसी के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है या हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशी की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी का समर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्यवाही के लिए एक पक्ष बना सकता है।

स्पष्टीकरण– उपधारा (1) में पृष्ठांकन के संदर्भ को छोड़कर स्पष्ट रूप से इंगित है कि यहां उपधारा (10) के संदर्भ में समनुदेशन या स्थानांतरण सशर्त है, हर समनुदेशन या हस्तांतरण को एक पूर्ण समनुदेशन या हस्तांतरण माना जाएगा और समनुदेशी या हस्तांतरी, जो भी लागू हो, को क्रमशः पूर्ण समनुदेशी या हस्तांतरी माना जाएगा।

(9) बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले लागू समनुदेशन या हस्तांतरण के तहत जीवन बीमा की किसी पॉलिसी के किसी समनुदेशी या हस्तांतरी के कोई भी अधिकार और उपचार इस खंड के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

(10) विपरीत कानूनी प्रभाव वाले किसी भी कानून या प्रचलन के बावजूद, किसी व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस शर्त पर किया जायेगा कि –

क. पॉलिसी की आय पॉलिसीधारक या नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों को तभी देय होगी जबकि समनुदेशी या हस्तांतरी की मृत्यु बीमाधारक के पहले हो गई हो; या

ख. पॉलिसी की अवधि के दौरान जीवित बीमाकर्ता मान्य होगा:

बशर्ते कि एक सशर्त समनुदेशी पॉलिसी पर ऋण प्राप्त करने या पॉलिसी का समर्पण करने का हकदार नहीं होगा।

(11) उप–धारा (1) के तहत बीमा की नीति का आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण के मामले में, बीमा कंपनी की देनदारी आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण द्वारा सुरक्षित राशि तक सीमित होगी और ऐसे पॉलिसीधारक को उसी पॉलिसी के तहत देय शेष राशि को समनुदेशन या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

अनुलग्नक–II

नामांकन – बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 से संशोधित है

(1) अपने जीवन पर जीवन बीमा का कोई पॉलिसी धारक, जब पॉलिसी को प्रभावी करता है या पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने के पहले कभी भी, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धन का भुगतान किया जाएगा:

प्रावधान है कि, यदि कोई नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, यह पॉलिसी धारक के लिए वैध होगा कि वह नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धन प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार नियुक्त करे।

(2) ऐसा कोई नामांकन प्रभावी होने के लिए, यह पॉलिसी पत्र में उल्लेखित किया जाना चाहिए, बीमाकर्ता को भेजी गई पॉलिसी पर एक पृष्ठांकन द्वारा उल्लेखित किया जाना चाहिए, और उनके द्वारा पॉलिसी से संबंधित अभिलेख में पंजीकृत किया होना चाहिए, और पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने से पूर्व ऐसा किसी भी तरह का नामांकन को पृष्ठांकन, पुर्न–अनुलेखन या इच्छा–पत्र, जो भी लागू हो, द्वारा रद्द या परिवर्तित किया गया हो, लेकिन जब तक कि इस तरह के किसी भी रद्दीकरण या परिवर्तन की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी गई हो, बीमाकर्ता पॉलिसी पत्र में उल्लेखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड में पंजी.त उम्मीदवार को पॉलिसी के तहत

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered: Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid: Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

(11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure - II

Nomination - As per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death: Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the

किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(3) बीमाधारक द्वारा पॉलिसी धारक को एक नामांकन पंजीकरण या रद्दीकरण या उसके परिवर्तन के पंजीकरण की एक लिखित स्वीकृति प्रदान की जाएगी, और इस हेतु ऐसे रद्दीकरण या परिवर्तन के पंजीकरण के लिए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क लिया जा सकता है।

(4) धारा 38 के अनुसार बनाई गई किसी पॉलिसी का हस्तांतरण या समनुदेशन स्वत: नामांकन रद्द कर देगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो समनुदेशन के समय पॉलिसी द्वारा बीमित है, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की सुरक्षा राशि के आधार पर इसके समर्पण मूल्य के अंदर दिए गए ऋण के विचार में, या ऋण के पुनर्भुगतान पर इसके पुर्न–समनुदेशन नामांकन रद्द नहीं करेगा, लेकिन केवल पॉलिसी में बीमाकर्ता के हित की हद तक नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करेगा:

बशर्ते कि पॉलिसी का हस्तांतरण या समनुदेशन, चाहे पूर्ण या आंशिक, हस्तांतरी या समनुदेशी द्वारा पॉलिसीधारक को दिए गये अग्रिम ऋण के विचार में, नामांकन रद्द नहीं करेगा लेकिन केवल हस्तांतरी या समनुदेशी, पॉलिसी में जो भी लागू हो, के हित की हद तक नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि नामांकन, जो कि हस्तांतरण या समनुदेशन पर स्वचालित रूप से रद्द कर दिया गया है, वही नामांकन स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा जब बीमाकर्ता को पॉलिसी की सुरक्षा के अलावा अन्य ऋण के पुनर्भुगतान पर समनुदेशी द्वारा पॉलिसी को पुन: समनुदेशन या हस्तांतरी द्वारा पुन: हस्तांतरित, पॉलिसीधारक के पक्ष में, किया जाता है।

(5) जहां बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान भुगतान के लिए पॉलिसी परिपक्व होती है या जहां नामांकित व्यक्ति या, यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने से पुर्व सभी नामांकित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि पॉलिसीधारक, या उसके वारिस या कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के धारक, जो भी लागू हो, को देय होगी।

(6) जहां नामांकित व्यक्ति या, यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, तो सभी नामांकित व्यक्ति बीमित व्यक्ति की मृत्यु तक जीवित रहते हैं तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि ऐसे जीवित या जीवित व्यक्तियों को देय होगी।

(7) इस खंड के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां अपने जीवन पर बीमा की पॉलिसी का धारक अपने माता–पिता, या उसके पति/पत्नी या उसके बच्चों, या उसके पतिध्पत्नी और बच्चे, या उनमें से किसी को भी नामांकित करता है तो वह नामांकित व्यक्ति या वे सभी नामांकित व्यक्ति उप–धारा (6) के तहत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के हकदार होंगे जब तक कि यह साबित नहीं किया जाता है कि पॉलिसीधारक ने, पॉलिसी के प्रति उसके अधिकार की प्र.ति के संबंध में, नामांकित व्यक्ति तो ऐसा कोई भी लाभकारी अधिकार प्रदान नहीं किया है।

(8) उपरोक्त विषय में, जहां नामांकित व्यक्ति, या यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, तो सभी नामांकित व्यक्ति, जिन पर उप–धारा (7) लागू होती है, की मृत्यु बीमित व्यक्ति के बाद होती है लेकिन पॉलिसी द्वारा सुरक्षित जमा राशि के भुगतान से पहले, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि, या पॉलिसी द्वारा सुरक्षित उतनी राशि जो नामांकित व्यक्ति या इस तरह मृत उम्मीदवारों (जो भी लागू हो) की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है, नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों के वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के धारक, जो भी लागू हो, को देय होगी और वे ऐसी रकम के हकदार लाभार्थी होंगे।

(9) उप–धाराओं (7) और (8) को कोई भी प्रावधान किसी भी लेनदार के अधिकार को नष्ट या बाधित करने का काम नहीं करेगा जिसे जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी की आय से भुगतान किया जाना है।

(10) उप–धाराओं (7) और (8) के प्रावधान जीवन बीमा की उन सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की शुरुआत के बाद भुगतान के लिए परिपक्व हुई हैं।

(11) जहां पॉलिसीधारक पॉलिसी की परिपक्वता के बाद मर जाता है लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उनकी पॉलिसी का लाभ और फायदा उन्हें नहीं मिल पाया है, ऐसे मामले में, उसके नामांकित व्यक्ति उसकी पॉलिसी के लाभ और फायदे के हकदार होंगे।

(12) इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती है या किसी भी समय लागू हो चुकी है;

प्रावधान है कि जहां नामांकन, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की शुरुआत में या बाद में, बीमित व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में या उसकी पत्नी और बच्चों के पक्ष में या उनमें से किसी के भी पक्ष में व्यक्त किया गया है, चाहे पॉलिसी के पृष्ठ पर हो या नहीं, जैसा कि इस खंड के तहत किया जा रहा है, उक्त अनुभाग 6 को पॉलिसी पर लागू नहीं होना या या लागू नहीं हो चुका होना माना जाएगा।

अनुलग्नक–III

बीमा कानून 1938 के अनुसार धारा 45, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित है

(1) जीवन बीमा की कोई भी पॉलिसी, पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की

text of the policy or registered in records of the insurer.

(3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

(4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination: Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy: Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy: Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

(6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

(11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.

(12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied; Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure - III

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) No policy of life insurance shall be called in question on any

समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तारीख से या जोखिम के प्रारंभ की तारीख से या पॉलिसी के नवीकरण की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर किसी भी कारण से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) पॉलिसी जारी करने की तिथि से तीन वर्षो के भीतर, यानि जोखिम के प्रारंभ की तारीख से या पॉलिसी के नवीकरण की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से, जो भी बाद में हो, धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रश्न उठाया जा सकता है:

प्रावधान है कि बीमाकर्ता को, उन आधार और सामग्री के बारे में जिस पर इस तरह के निर्णय आधारित है, बीमित व्यक्ति से या उसके कानूनी प्रतिनिधि से या बीमाधारक के नामांकित व्यक्ति से या समनुदेशन व्यक्ति से लिखित में संवाद करना होगा।

स्पष्टीकरण I– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''धोखाधड़ी'' का अर्थ बीमाधारक द्वारा या उसके एजेंट द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से, किए गए निम्न कार्यो में से कोई भी है:–

(क) सुझाव, एक ऐसे तथ्य के रूप में जो कि सच नहीं है और जो बीमाधारक सच नहीं मानता है;

(ख) तथ्य के ज्ञान या विश्वास रखने वाले बीमाकर्ता द्वारा एक तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना;

(ग) धोखा देने हेतु किया गया कोई अन्य कार्य; तथा

(घ) कोई भी ऐसा कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है।

स्पष्टीकरण II– केवल बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्य पर चुप्पी रखना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं होतीं कि उनमें संबंध हो, यह बीमाकर्ता या उसके एजेंट का कर्तव्य है, बोलने के लिए चुप्पी रखे, या जब तक उसकी चुप्पी, अपने आप में, बोलने के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) के किसी भी वक्तव्य से परे, कोई भी बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं करेगा यदि बीमाकर्ता यह साबित कर सकता है कि एक भौतिक तथ्य की गलत व्याख्या या दमन उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही था या यह कि उनका तथ्य को दबाने के लिए कोई इरादा नहीं था या यह कि एक भौतिक तथ्य के इस तरह के गलत अर्थ या दमन बीमाकर्ता की जानकारी में हैं:

प्रावधान है कि धोखाधड़ी के मामले में, अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झुठ को हतोत्साहित करने की जिम्मेदारी लाभार्थियों पर है।

स्पष्टीकरण – बीमाकर्ता के एजंट स्वरूप एक व्यक्ति जो बीमा अनुबंध का अनुरोध करता है और बातचीत करता है को अनुबंध के गठन के उद्देश्य के लिए समझा जाएगा ।

(4) पॉलिसी जारी करने की तिथि से या जोखिम के प्रारंभ की तारीख से या पॉलिसी के नवीकरण की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से, भी बाद में हो, तीन साल के भीतर किसी भी समय जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा से संबंधित तथ्यात्मक सामग्री का कोई कथन या दमन गलत तरीके से उन प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज में किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या नवी.त की गई थी या राइडर जारी किया गया था:

प्रावधान है कि बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से या कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्ति या बीमाधारक के समनुदेशी से उस आधार और सामग्री के बारे में लिखित में संवाद करना होगा जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

आगे प्रावधान है कि किसी भौतिक तथ्य की गलतफहमी या दमन के आधार पर, लेकिन धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, पॉलिसी को अस्वीकार करने के मामले में अस्वीकृति की तारीख तक पॉलिसी पर एकत्रित प्रीमियम बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्ति या बीमाधारक के समनुदेशी को ऐसी अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी।

स्पष्टीकरण –इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, तथ्य की मिथ्या कथन या दमन को सामग्री नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा किए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष असर नहीं होता है, यह साबित करना बीमाकर्ता की जिम्मेदारी है कि यदि बीमाकर्ता को इस तथ्य से अवगत कराया गया होता तो बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

(5) यह धारा बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का साक्ष्य मांगने से नहीं रोकती है अगर वह ऐसा करने का हकदार है, और किसी भी पॉलिसी पर सिर्फ इसलिए कि पॉलिसी की शर्तो को बाद के प्रमाण पर समायोजित किया जाता है कि जीवन बीमाधारक की आयु प्रस्ताव में गलत तरीके से बताई गई थी, प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

(c) any other act fitted to deceive; and

(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer: Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नोट : अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत निवारण अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है।
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer / Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता /Address of Branch Office:

शिकायत निवारण अधिकारी का पता /
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता
Address of Insurance Ombudsman:

नोट : इस नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions / conditions the English version shall stand valid

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512